बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक .... / पटना, दिनांक– ....

06 / पणन(स0)–88 / 2025

सेवा में,

महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰),
बिहार, पटना।

विषय :– बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत गठित चार सब्जी संघ यथा हरित सब्जी संघ, मिथिला सब्जी संघ, तिरहुत सब्जी संघ एवं मगध सब्जी संघ में 750 MT क्षमता के बहुउद्देशीय शीत भंडारण इकाई निर्माण, प्रति इकाई निर्माण लागत 3,68,71,919/– रूपये की दर से कुल सकल राशि रू0 14,74,87,676/– (चौदह करोड़ चौहत्तर लाख सत्तासी हजार छः सौ छिहत्तर रूपये) मात्र व्यय के निमित्त योजना की स्वीकृति।

आदेश :– स्वीकृत।

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत गठित चार सब्जी संघ यथा हरित सब्जी संघ, मिथिला सब्जी संघ, तिरहुत सब्जी संघ एवं मगध सब्जी संघ में 750 MT क्षमता के बहुउद्देशीय शीत भंडारण इकाई निर्माण, प्रति इकाई निर्माण लागत 3,68,71,919/– रूपये की दर से कुल सकल राशि रू0 14,74,87,676/– (चौदह करोड़ चौहत्तर लाख सत्तासी हजार छः सौ छिहत्तर रूपये) मात्र के निकासी एवं व्यय के निमित्त योजना की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रदान की जाती है।

2. उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा पूंजी, 50 प्रतिशत अनुदान एवं 25 प्रतिशत ऋण के रूप में प्रावधानित होगा, जो निम्नरूपेण विकलनीय होगाः–

क्र॰स॰	बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि
i.	मांग संख्या–09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2425 सहकारिता, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–108 अन्य सहकारी समितियों को सहायता, उप शीर्ष–0116 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष–31 सहायता अनुदान, विषय शीर्ष–05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण, विपत्र कोड–09–2425001080116	6,19,44,824/–
ii.	मांग संख्या–09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2425 सहकारिता, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0103 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष–31 सहायता अनुदान, विषय शीर्ष–05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण, विपत्र कोड–09–2425007890103	1,17,99,014/–
iii.	मांग संख्या–09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–108 अन्य सहकारी समितियों में निवेश, उप शीर्ष–0166 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन,. विस्तृत शीर्ष–54 निवेश, विषय शीर्ष–01 निवेश, विपत्र कोड–09–4425001080166	3,09,72,412/–

कृ0पृ0उ0

iv.	मांग संख्या–09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0101 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष–54 निवेश, विषय शीर्ष–01 निवेश, विपत्र कोड–09–4425007890101	58,99,507/–
	कुल राशि	11,06,15,757/–

ऋण मद का शीर्ष खोलने की कार्यवाई प्रक्रियाधीन है। प्रथम अनुपूरक से ऋण मद से राशि प्राप्त होने के पश्चात ऋण मद की राशि विकलनीय होगी।

3. सहकारिता विभाग के संकल्प सं०–10615 ,दिनांक 05.12.2018 की कंडिका–9 (वित्तीय सहायता का स्वरूप) के अनुसार बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था तथा कार्यभार स्वीकृत किया गया। उक्त के अनुपालन मे योजना का 25% राज्य सरकार की हिस्सा पूंजी, 25 % राज्य सरकार की ऋण तथा 50 % अनुदान के रूप मे उपलब्ध कराया जाएगा। सब्जी संघ को सरकारी ऋण के रूप मे उपलब्ध करायी राशि की वसूली के संबंध मे मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का दायित्व बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन का होगा जिसके अनुसार ऋण की वसूली होगी।

4. संरचना के निर्माण हेतु Bihar State Warehousing Corporation (BSWC) को कार्यकारी एजेंसी के रूप मे नामित किया जायेगा। BSWC निर्माण एजेंसी की चयन हेतु निविदा आमंत्रित करेगी। निविदा द्वारा चयनित एजेंसी के साथ एकरारनामा कर संरचना का निर्माण कराया जायेगा। संरचना के निर्माण उपरांत BSWC इसे संबंधित संघ को hand over करेगा एवं ततपश्चात संघ द्वारा शीत भंडारण इकाई का व्यावसायिक संचालन प्रारंभ किया जायेगा । योजनान्तर्गत आधारभूत संरचना निर्माण कार्य पूर्ण करने की अधिकतम समय–सीमा नौ माह की होगी।

5. संयुक्त निबंधक, स.स. तिरहुत प्रमंडल / मगध प्रमंडल / पटना प्रमंडल एवं दरभंगा प्रमंडल एवं संबंधित संघ के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र अंतर्गत संरचना निर्माण का नियमित अनुश्रवण करेंगे। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्रति माह फोटो प्रमाणक के साथ प्रतिवेदन वेजफेड कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को BSWC, सब्जी संघ के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ अध्यक्ष, एजेंसी के साथ प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता मे योजना के कार्यान्वयन हेतु समीक्षा बैठक की जायेगी। BSWC द्वारा निर्मित संरचना की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जायेगा। संघ द्वारा PVCS के सदस्य किसानों के उत्पाद के भंडारण हेतु प्राथमिकता देते हुए रियायती दर पर सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा।

6. समेकित बहुउद्देशीय शीत भंडारण इकाई निर्माण योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदत वित्तीय सहायता का प्रवाह राज्य सरकार/ विभाग से वेजफेड ,वेजफेड से सब्जी संघ तथा सब्जी संघ से बिहार राज्य भंडार निगम को होगा। वेजफेड द्वारा राशि का हस्तांतरण संघ के बचत खाता मे किया जायेगा । योजना की राशि वेजफेड के खाते मे संधारित रहेगी । अग्रिम के रूप मे योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि का 30%, उसके बाद क्रमशः दूसरी एवं तीसरी किस्त के रूप मे 30% & 30% राशि संघ द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरांत एवं अंतिम किस्त 10% मापी पुस्तिका जमा करने एवं निर्मित संरचना को संघ को हस्तांतरित करने के उपरांत विमुक्त की जायेगी। निर्माण एजेंसी को भुगतान, कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य की प्रगति के आधार पर निविदा मे वर्णित शर्तों के अधीन किया जायेगा।

7. इस योजना के प्रथम चरण अंतर्गत 04 सब्जी संघो यथा हरित सब्जी संघ, मिथिला सब्जी संघ, तिरहुत सब्जी संघ एवं मगध सब्जी संघ मे समेकित बहुउद्देशीय शीत गृह भंडारण निर्माण कार्य किया

इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे जो उपलब्ध आवंटन के अन्तर्गत राशि की निकासी कर बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि0, पटना के खाते में स्थानांतरित करेंगे। इसके लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं संकल्प संख्या–7245 दिनांक–26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

10. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के पत्रांक 4989/वि0(2) दिनांक 16.05.2013 के आलोक में अंकित तथ्यों का अनुपालन करेंगे। साथ हीं उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 18 (अठारह) माह के अंदर प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–06/पणन(स0)–88/2025 के पृष्ठ संख्या 08/टि0 पर दिनांक– 15.07.2025 को प्राप्त है।

13. योजना प्रस्ताव पर संचिका संख्या– 06/पणन(स0)–88/2025 के माध्यम से विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.07.2025 (कार्यवाही ज्ञापांक 3428 दिनांक 14.07.2025) द्वारा अनुशंसा प्राप्त है साथ हीं संचिका के पृष्ठ संख्या 08/टि0 पर दिनांक– 16.07.2025 को माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 222 /पटना, दिनांक 16/07/2025
06/पणन(स0)–88/2025

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफे के साथ।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा, बिहार, पटना)/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि0, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव/निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–03 (बजट) सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र लिपिक कार्यालय निबंधक स0स0, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

सरकार के अपर सचिव।